कार्यालय, उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी, रायपुर (छ.ग.) ई–मेल :– govt.ayurvedicpharmacy@gmail.com दूरमाष एवं फैक्स क्रं. – 0771–2263437

-:: द्वितीय निविदा सूचना ::-

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक....960

दिनांक 04-08-2023

उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी, रायपुर (छ.ग.) की ओर से निर्माताओं तथा अधिकृत विक्रेताओं से मशीन उपकरण एवं यंत्रशस्त्र प्रदाय करने हेतु मोहरबंद निविदाएं आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करते हुए रूपये 500.00 नगद भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते है। उक्त निविदा पत्र कार्यालय प्राचार्य शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय रायपुर की वेबसाईट www.gacraipurcg.in पर अवलोकन किया जा सकता है।

निविदा बिक्री की अंतिम तिथि, दिनांक 23.08.2023 समय – सायं 04 बजे तक

निविदा डाक से प्राप्त होने / निविदा दिनांक 24.08.2023 समय — दोपहर 02 बजे तक जमा करने की अंतिम तिथि

निविदा की अमानत राशि (ई.एम.डी.) दिनांक 24.08.2023 समय – दोपहर 03 बजे लिफाफे खोलने की तिथि

स्थान – कार्यालय, उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी, जी. ई. रोड, आयुर्वेदिक कॉलेज केम्पस, रायपुर (छ.ग.)

कार्यालय, उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी, रायपुर (छत्तीसगढ़)

:: निविदादाता हेतु निर्देश ::

शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी रायपुर के लिये मशीन उपकरण एवं यंत्रशस्त्रों का क्रय किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त हेतु टू बीड सिस्टम के तहत निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदादाता जो शासकीय अथवा कार्पोरेट संस्था से ब्लैक लिस्टेड है, वह निविदा में भाग नहीं ले सकेंगे। दिनांक 24.08.2023 को दोपहर 02:00 बजे तक कार्यालय उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी, रायपुर (छ.ग.) में जमा की जा सकेगी । निविदा उसी दिन उसी स्थान पर दोपहर पश्चात 3:00 बजे अमानत राशि (ई.एम.डी) बीड (लिफाफा–ए), निविदादाताओं / अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी अमानत राशि (ई.एम.डी.) एवं उससे छूट संबंधी प्रमाण–पत्र सही पाये जाने पर दूसरी लिफाफा निविदा प्रपत्र एवं प्राईज बीड (लिफाफा–बी) खोलने की कार्यवाही की जावेगी ।

निविदा स्वीकृत किये जाने के दिनांक से स्वीकृत निविदा एक वर्ष तक वैध रहेगी, जिसमें दोनो पक्षो की सहमति से आवश्यकतानुसार वृद्धि अथवा कम किया जा सकता है।

निविदादाता को निविदा दो पृथक—पृथक लिफाफों में जमा करनी होगी । प्रथम लिफाफे ''ए'' अमानत राशि (ई.एम.डी.) एवं उससे छूट संबंधी प्रमाण—पत्र लिफाफे के उपर लाल स्याही से अंकित होना चाहिए तथा दूसरे लिफाफे ''बी'' में मशीन उपकरण के निविदा प्रपत्र एवं प्राईज बीड लाल स्याही से अंकित होना चाहिए ।

स्वीकृत निविदा दाता द्वारा मशीन उपकरणों के नमूना (सेम्पल) इन्स्टाल कर दिखाना होगा।

- 1. प्रदेश की लघु एवं कुटीर उद्योग ईकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत है के साथ ही छत्तीसगढ़ में स्थापित भारत सरकार से मान्यता प्राप्त वैध स्टार्टअप, जैसा कि औद्योगिक नीति 2014–19 के परिशिष्ट–1 परिभाषा में अनुक्रमांक–54 पर परिभाषित है निविदाकर्ता द्वारा निविदा जारी करने की दिनांक को भारत सरकार की वेबसाईट पर वैध पाया गया है, तथा सक्षमता प्रमाण–पत्र प्राप्त है,को उसका परीक्षण कर उन्हें शासकीय क्रय प्रक्रिया में भाग लेते समय अमानत राशि (ई.एम.डी.) जमा करने से छूट दी जाये।
- आपूर्तिकर्ता को वर्ष 2022–23 जी.एस.टी. क्लींयरेन्स प्रमाण–पत्र की अभिप्रमाणित प्रति एवं परिशिष्ट एक तथा दो लगाना अनिवार्य होगा । परिशिष्ट दो, बाध्य पत्र 100/– सौ रूपये के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
 निविदा की अनुमानित कुल राशि रू. 17,20,000 (सत्रह लाख बीस हजार रूपये) है। प्रत्येक निविदादाता को रूपये 17,200/– (सत्रह हजार दो सौ रूपये मात्र) की अमानत राशि (ई.एम.डी.) जो राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट/ फिक्स डिपाजिट के रूप में उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी, रायपुर के नाम देय होगी। सफल निविदाकार की अमानत राशि (ई.एम.डी.) को छोड़कर शेष निविदाकार की अमानत राशि वापसी योग्य होगी एवं सफल निविदाकार की अमानत राशि (ई.एम.डी.) को छोड़कर शेष निविदाकार की अमानत राशि वापसी योग्य होगी एवं सफल निविदाकार की अमानत राशि (ई.एम.डी.) को छोड़कर शेष निविदाकार की अमानत राशि वापसी योग्य होगी एवं सफल निविदाकार की अमानत राशि (ई.एम.डी.) को छोड़कर शेष निविदाकार की अमानत राशि वापसी योग्य होगी एवं सफल निविदाकार की अमानत राशि (ई.एम.डी.) को छोड़कर शेष निविदाकार की अमानत राशि वापसी योग्य होगी एवं सफल निविदाकार की अमानत राशि (ई.एम.डी.) को छोड़कर शेष निविदाकार की अमानत राशि वापसी योग्य होगी एवं सफल निविदाकार की अमानत राशि ई.एम.डी.) को छोड़कर शेष निविदाकार की अमानत राशि वापसी योग्य होगी एवं सफल निविदाकार की अमानत राशि ई.एम.डी.) को सिक्यूरिटी डिपाजिट के रूप में बदल दी जावेगी।
 प्रदेश की लघु एवं कुटीर उद्योग ईकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत है तथा सक्षमता प्रमाण–पत्र प्राप्त है ईकाईयों द्वारा इस आशय का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किये जाने पर उसका परीक्षण किया जाकर नियमानुसार सुरक्षा निधि में छुट प्रदान की जावेगी ।
- छत्तीसगढ़ शासन भण्डार क्रय नियम 4.9 के अंतर्गत जी.एस.टी. का जीवित रजिस्ट्रेशन होना अपियर्ण के एवं एंचीएन प्रपण एक रांचान किए जाने किएस.टी. का जीवित रजिस्ट्रेशन होना

अनिवार्य है एवं पंजीयन प्रमाण–पत्र संलग्न किया जावे जिसमें निविदा में उल्लेखित मशीन उपकरणों विक्रेता होने का स्पष्ट उल्लेख हो। 2. पेन कार्ड(जिसमें पेन नंबर अंकित हो), 3. विगत तीन वर्षों का इनकम टैक्स रिटर्न, 4. नगर निगम में दुकान पंजीयन का प्रमाण पत्र, 5. निर्माता/निर्माता प्रतिनिधि का प्रमाण पत्र। 6. चेक लिस्ट । उपरोक्त प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना होगा । उपसंचालक, 4. नगर निर्मा होगा निर्माता प्रतिनिधि का प्रमाण पत्र, 5. निर्माता प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना होगा निर्मा का प्रमाण–पत्रों की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना होगा निर्माता निर्मालक, 4. न्यू

शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी,

रायपुर (छ.ग.)

E:\K.S\M.R sir\Tender vividh 06-2023 masine.doc

1.50

:: निविदा की नियम / शर्ते ::

- 1. निविदा मूल प्रपत्र पर ही भरकर जमा करनी होगी छाया प्रतियां मान्य नहीं होगी ।
- आपूर्तिकर्ता को मशीन उपकरण की आपूर्ति के पूर्व 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर करारनामा (अनुबन्ध) नोटरी से रजिस्टर्ड कराया जाकर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा ।
- 3. क्रय आदेश जारी होने के 30 दिवस के अंदर मशीन उपकरण प्रदाय नहीं किया जाता है तो केता द्वारा 2% (दो प्रतिशत) प्रतिमाह पेनाल्टी के साथ अवधि में केवल एक बार ही वृद्धि की जा सकेगी।
- निविदादाता निविदा में मशीन उपकरण की दरें, कर सहित भरें तथा दर एवं कर को पृथक–पृथक अंकित किया जावे इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की राशि मान्य नहीं होगी।
- 5. निविदा में भरे गये मूल्य में परिवर्तन किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा ।
- 6. निविदा, गुणवत्ता / न्यूनतम दर के आधार पर स्वीकृत किये जायेंगे एवं आपूर्तिकर्ता को आदेशित मशीन उपकरण, शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी, रायपुर (छ.ग.) में प्रदाय करना होगा। इस हेतु स्वीकृत दर के अतिरिक्त कोई व्यय नहीं दिया जावेगा। अग्रिम भुगतान नहीं किया जावेगा।
- 7. प्रदायकर्ता फर्म को इस आशय का प्रमाण पत्र देना आवश्यक होगा कि उसकी व्यापारिक संस्थान कहां स्थित है, जहां से वह मशीन उपकरण प्रदाय करेगा।
- मशीन उंपकरण की मात्रा कम/अधिक की जा सकेगी अथवा उसे बिल्कुल न लेने के लिए भी 8. उपसंचालक,शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी, रायपुर के पास अधिकार सुरक्षित होगा । निविदादाता को निविदा फार्म के साथ रूपयें 17,200/– (सत्रह हजार दो सौ रूपये मात्र) का 9. राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट/फिक्स डिपाजिट अमानत राशि (ईएम.डी) मनी के रूप में उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी रायपुर के पक्ष में देय, निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा। अन्यथा निविदा निरस्त कर दिया जावेगा। अस्वीकृत निविदादाता को अमानत राशि वापसी योग्य होगी। निविदा स्वीकृत होने पर यह धन राशि सुरक्षा निधि (सिक्यूरिटी डिपाजिट) के रूप में बदल दिया जायेगा। यदि नियमानुसार सुरक्षा निधि अनुमानित मूल्य के 3 प्रतिशत होगी, अमानत राशि की राशि से अधिक होती है, तो अधिक राशि का बैंक ड्राफ्ट पृथक से जमा किये जाने पर ही प्रदायित मशीन उपकरण ग्रहण की जावेगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निर्धारित समय सीमा में आदेशित मशीन उपकरण प्रदाय नहीं करने की स्थिति में शासन हित में इस राशि में से नियमानुसार राजसात की कार्यवाही की जावेगी। स्वीकृत निविदादाता की सुरक्षा निधि राशि निविदा के वैधता तिथि समाप्त होने के पश्चात् वापस की जावेगी।
- 10. आदेशानुसार मशीन उपकरण प्रदाय करने पर सुरक्षा निधि बिना ब्याज के आपूर्तिकर्ता को वापस कर दी जावेगी ।
- 11. निविदा दो लिफाफों में प्रस्तुत करना होगा। एक लिफाफे में अमानत राशि (ईएमडी) अथवा उससे छूट संबंधी प्रमाण–पत्र तथा दूसरे लिफाफे में निविदा प्रपत्र एवं मशीन उपकरण की प्राईज बीड होगा।
- प्रदायकर्ता फर्म की नियमानुसार सुरक्षानिधि (सिक्यूरिटी डिपाजिट) की राशि अमानत राशि की 12. राशि से अधिक होने की स्थिति में उक्त अधिक राशि का अंतर की राशि का बैंक ड्राफ्ट/फिक्स डिपाजिट, जो उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी रायपुर के पक्ष में देय हो तीन दिवस के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। निर्धारित समय सीमा पर आदेशित मशीन उपकरण प्रदाय नहीं करने की स्थिति में शासन हित में इस राशि को राजसात कर लिया जावेगा । प्रदेश की लघु एवं कुटीर उद्योग ईकाई जो उद्योग विभाग से पंजीकृत है तथा सक्षमता प्रमाण 13. पत्र प्राप्त है, उसकी परीक्षण कर उन्हें शासकीय क्रय प्रक्रिया में भाग लेते समय सुरक्षा निधि जमा करने से छूट दी जावेगी। इस आशय का प्रमाण पत्र निविदा के साथ देना होगा । छत्तीसगढ़ भण्डार कय नियम 13.1 के अनुसार दर निर्धारण के समय मध्यम, वृहत एवं राज्य 14. के बाहर स्थित ईकाईयों की तुलना में छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित लघु उद्योग ईकाईयों को 10% (दस प्रतिशत) की मूल्य अधिमान्यता प्रदान की जावेगी ।



- 15. छत्तीसगढ़ भण्डार कय नियम 13.2 स्थानीय लघु उद्योग ईकाईयों को राज्य के बाहर स्थित ईकाईयों की तुलना में 5% (पांच प्रतिशत) की कय अधिमान्यता प्रदान की जावेगी ।
- 16. अन्य बातें समान रहने पर आई. एस. आई. तथा आई. एस. ओ. 9000 प्रमाण पत्र प्राप्त ईकाईयों को प्रदाय देने में प्राथमिकता दी जायेगी ।
- 17. छत्तीसगढ़ भंडार कय नियम 14.1 राज्य में स्थित बी. आई. एस. प्रमाण पंत्र धारी लघु उद्योग ईकाई को राज्य के बाहर स्थित ईकाई की तुलना में 10% (दस प्रतिशत) की अधिमान्यता दी जायेगी ।
- 18. राज्य से बाहर स्थित निविदाकारों द्वारा निविदा में दी गई दरों की तुलना, राज्य में वाणिज्यकर अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत निविदाकारों द्वारा दी गई दरों में छत्तीसगढ़ वाणिज्य कर को छोड़कर की जावेगी ।
- 19. परिशिष्ट के प्रत्येक पृष्ट पर निविदादाता की मुद्रा व हस्ताक्षर आवश्यक है। अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
- 20. सुरक्षानिधि नगद में प्राप्त नहीं की जावेगी । निविदाकार को सुरक्षानिधि चालान से लेखा शीर्ष "8443 सिविल जमा राशियां 103 – प्रतिभूति जमा" में शासकीय खजाने में / उपखजाने में या बैंक की किसी भी शाखा में जहां शासकीय लेन देन होता है जमा करके चालान की मूल पावती निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा या राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट / फिक्स डिपाजिट द्वारा जमा की जा सकती है ।
- 21. निविदा मुहरबंद लिफाफे में बंद कर कार्यालय, उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी जी. ई.

रोड, आयुर्वेदिक कालेज केम्पस, रायपुर के पते पर रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट अथवा पी. एंड.टी. विभाग से अधिकृत कोरियर अथवा उपस्थित होकर जमा की जा सकती है । 22. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदायें बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी, रायपुर के पास सुरक्षित होगा। इस संबंध में कोई विवाद या सवाल मान्य नहीं होगा ।

- 23. निविदा अहस्तांतरणीय होगी ।
- 24. केवल वाणिज्यिक कर विभाग में जी.एस.टी. पंजीकृत फर्मों से ही कय किया जावेगा।
- 25. निविदा विलंब से प्राप्त होने पर मान्य नहीं होगी ।
- 26. आपूर्तिकर्ता भुगतान में विलंब होने पर किसी प्रकार का विवाद खड़ा नहीं करेगा, एवं न ही किसी प्रकार का ब्याज देय होगा ।
- 27. भुगतान वेण्डर पेमेंट से देय होगी।
- 28. भुगतान में शासन के नियमानुसार टी.डी.एस. कटोत्रा किया जावेगा।
- 28. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी रायपुर (छ.ग.) का निर्णय अंतिम होगा एवं न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर (छ.ग.) होगा ।

उपसंचालक, ठ५-८-२ शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी रायपुर (छ.ग.)

लिफाफा – बी परिशिष्ट – एक प्रति, मशीन उपकरण एवं यंत्रशस्त्र प्रदाय हेतु निविदा । विषय :--महोदय, मैंने / हमने ठेके (निविदा) की पूर्ति से संबंधित नियमावली के समस्त नियम पढ़ लिये हैं । मैं / हम प्रमाणित करता हूं / करते हैं कि मुझे / हमें निविदा की समस्त नियम / शर्तें मान्य हैं व निविदा उन्हीं शर्तों को स्वीकार करते हुये भरी है।


स्थान

दिनांक –

निविदा भरने वाले का हस्ताक्षर

नाम-

पूरा पता



लिफाफा – बी परिशिष्ट – दो

(सौ रूपये के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर)

बाध्य पत्र

मैंने / हमने मशीन उपकरण एवं यंत्रशस्त्र प्रदाय हेतु निविदा नियमों / शर्तों को स्वीकार करते हुये भरी है, इस संबंध में मैं / हम इकरार करता हूं/करते हैं कि भरी गई निविदा के स्वीकार किये जाने पर निविदा नियमों / शर्तों के अनुसार मैं / हम मशीन उपकरण एवं यंत्रशस्त्र प्रदाय हेतु बाध्य हूं / हैं।

मुझे / हमें यह स्पष्ट है कि प्रदाय आदेश जारी होने के उपरांत यह अनुबंध हो जायेगा तथा संबंधित प्रदाय आदेश में दी गई शर्तों व नियमों को मानने के लिये मैं /हम बाध्य हूंगा/होंगे ।

मैं / हम इकरार करता हूं / करते हैं कि मशीन उपकरण एवं यंत्रशस्त्र प्रदाय हेत् अनुबंध के 30 दिवास के अंदर क्रयकर्ता द्वारा आदेश में दर्शाये गये पते पर प्रदाय करूंगा / करेंगे। जिसमें होने वाला व्यय मेरे/हमारे द्वारा वहन किया जावेगा।

मैं / हम घोषित करता हूं / करते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा की गई निविदा इस बाध्य–पत्र का अंश समझी जावेगी।

स्थान

दिनांक –

निविदा भरने वाले का हस्ताक्षर

नाम-

पूरा पता

गवाहों के हस्ताक्षर (नाम व पूर्ण पते सहित)

1.

2.

Deputy Director Govt. Ayurvedic Pharmecv Raipur (Chhattisgarh)

परिशिष्ट – तीन

मशीन उपकरण एवं यंत्रशस्त्र प्रदाय हेतु निविदा प्रपत्र (प्राईज बीड)

फर्म का नाम

फर्म का पता

फोन नं.टीन नं. / जी.एस.टी. नं.

नोटः– प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षर एवं फर्म की सील होना आवश्यक है ।

क्रमाक	मशीन का नाम	आईटम कोड़	स्पेशीफिकेशन	दर प्रति नग	जी.एस.टी.	कुल दर
1	Electric Platform Trolley	EQP0074	3x6 Fit, Type - Electric, use industrial, load capacity - heavy			
2	Mobile Scissor Lift Model No. MTC 0.45-6		Capacity 450 kg.Platform Height - 6000mm (19.8 Fit), Working Height 8000mm (26.3 Fit), Minimum Height 1100mm, Platform Size 1800mm*880mm, Motor Power 1.1 kw, Power supply voltage AC 220V, Cylinder 80 (2pcs), Gear Pump 6ml/r, Total Weight 700kg, All over dimension 1900*1120*1100mm Lift type Scissor Lift, Electric System Schneider Contactor, SANLICO button, CHNT electrical, Hydraulic system Hycman power pack, NOK sealing, Scissor Arm Support Hi-strength Manganese steel rectangle tube Q345 B, Platform surface antiskid checkered plete, Driving Tyre Ø250-8 Inflated tires (Numetic tiers), High-pressure Oil double wire hydraulic intensifier rubber hose.			
3	Electric Chhalnni	EQP0193	3x6 Feet, Power 1HP, Mess 80 No.			
	8 STN "D" Tooling mini press Tablet machine GMP model with Die and punches		Machine Type - PTH - D - 8, No. of stations - 08, Type of tooling - D, Max. Output Tablets per hour - 4800 - 14400 per hour, max. Tab. Dia 23mm. Max. Depth of fill - 20mm, max. operating pressure 6 ton, main electrict motor - 1.5 HP/ 3PH, turret RPM min./max 10- 30			

उपसंचालक, शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी रायपुर (छ.ग.)


लिफाफा ''बी''

चेक लिस्ट

क्रमांक	विवरण	पेज क्रमांक
1	फर्म का नाम एवं पूर्ण पता	
2	परिशिष्ट एक	
3	परिशिष्ट दो बाध्य पत्र सौ रुपये के नान जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत	
4	जी.एस.टी. का जीवित रजिस्ट्रेशन की अभिप्रमाणित प्रति	
5	जी.एस.टी. क्लीयरेन्स वित्तीय वर्ष 2022—23 के प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति	
6	पेन कार्ड (जिसमें पेन नंबर अंकित हो) की अभिप्रमाणित प्रति	
7	विगत तीन वर्षों का इनकम टैक्स रिटर्न की अभिप्रमाणित प्रति	
8	नगर निगम में दुकान के पंजीयन प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति	
9	निर्माता / निर्माता प्रतिनिधि होने संबंधी प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित प्रति	

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

सील



अनुबन्ध पत्र

यह अनुबन्ध आज दिनांकमाह......वर्ष......को प्रदाय की जाने वाली मशीन उपकरण एवं यंत्रशस्त्र के अधिकृत विकेता श्री/श्रीमतिफर्म का नाम.....फर्म का नाम......फर्म पश्चात् इन्हें विकेता / प्रदायकर्ता (सप्लायर) कहा जावेगा) तथा छ.ग.शासन की ओर से उपसंचालक,शासकीय आयुर्वेद फार्मेसी,रायपुर (इसके पश्चात् इन्हें केता / कयकर्ता कहा जायेगा) के बीच किया जाता है। इसे निविदा का एक अंश समझा जावेगा। मैंने / हमने मशीन उपकरण एवं यंत्रशस्त्र प्रदाय हेतु निविदा नियमों / शर्तों को स्वीकार करते हुये भरी है, इस संबंध में मैं / हम इकरार करता हूं/करते हैं कि भरी गई निविदा के स्वीकार किये जाने पर निविदा नियमों / शर्तों के अनुसार मैं / हम मशीन उपकरण एवं यंत्रशस्त्र प्रदाय हेतु बाध्य हूं / हैं।

मुझे / हमें यह स्पष्ट है कि प्रदाय आदेश जारी होने के उपरांत अनुबंध हो जायेगा तथा संबंधित प्रदाय आदेश में दी गई शर्तों व नियमों को मानने के लिये मैं /हम बाध्य हूंगा / होंगे ।

मैं / हम इकरार करता हूं / करते हैं कि मशीन उपकरण एवं यंत्रशस्त्र ं प्रदाय हेतु अनुबंध के 30 दिवस के अंदर कयकर्ता द्वारा आदेश में दर्शाये गये पते पर प्रदाय करूंगा / करेंगे। जिसमें होने वाला व्यय मेरे / हमारे द्वारा वहन किया जावेगा।

मैं / हम घोषित करता हूं / करते हैं कि मेरे / हमारे द्वारा की गई निविदा इस बाध्य–पत्र का अंश समझी जावेगी।

स्थान

दिनांक –

निविदा भरने वाले का हस्ताक्षर

नाम–

पूरा पता

गवाहों के हस्ताक्षर (नाम व पूर्ण पते सहित)

E:\K.S\M.R sir\Tender vividh 06-2023 masine.doc

Deputy Director Govt. Ayurvedic Pharmecy Ralpur (Chhattisgarh)